

संकल्प

विषय :- राज्य योजनान्तर्गत संचालित "मुख्यमंत्री कन्यादान योजना" की संशोधित मार्ग-निर्देश की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 642, दिनांक- 07.03.2019 द्वारा राज्य योजनान्तर्गत संचालित "मुख्यमंत्री कन्यादान योजना" का संशोधित मार्ग-निर्देश निर्गत है। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य योजनान्तर्गत संचालित "मुख्यमंत्री कन्यादान योजना" के उपर्युक्त संकल्प को विलोपित करते हुए निम्नरूपेण नये मार्ग-निर्देश की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2.1 उद्देश्य -

बेटियों के बारे में समाज में पायी जानेवाली सोच, लड़कों के मुकाबले उनकी कम होती संख्या, बालिकाओं को जल्दी ब्याह देने की प्रवृत्ति जैसी समस्याओं का निराकरण हेतु इस योजना को निरूपित किया गया है, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- i. महिला आर्थिक सशक्तिकरण।
- ii. बाल विवाह प्रथा का अन्त।

2.2 योजना का स्वरूप :-

इस योजना के तहत अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड)/ पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड)/K-Oil राशन कार्ड (सफेद रंग का राशन कार्ड) धारी परिवार, की कन्याओं, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, को उनके विवाह के अवसर पर रु0 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र की आर्थिक सहायता कन्या के बचत खाते में ABPS/NEFT/RTGS/PFMS के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

2.3 लाभार्थी हेतु पात्रता -

1. परिवार अर्थात् स्वयं/माँ/पिता झारखण्ड राज्य के अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड)/पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड)/K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) धारी हो। राशन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. युवती का आधार-कार्ड उपलब्ध हो।
3. विवाह निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
4. युवती का नाम झारखण्ड राज्य की मतदाता सूची में दर्ज हो।
5. पुनर्विवाह का मामला नहीं हो, किंतु विधवा विवाह के लिए अनुमान्य।
6. विवाह के 1 (एक) वर्ष के अंदर आवेदन देना अनिवार्य होगा।
7. परिवार के पास निम्न 14 बहिष्कार मानदंडों में से कोई भी नहीं होना चाहिए :-
 - i. मोटर चालित वाहन - 2/3/4 व्हीलर/मछली पकड़ने वाली नाव।
 - ii. मशीनीकृत 3-4 व्हीलर कृषि उपकरण।
 - iii. किसान क्रेडिट कार्ड के साथ क्रेडिट सीमा 50,000/- से अधिक।

- iv. परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी।
- v. सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार।
- vi. परिवार के किसी भी सदस्य की कमाई रु0 10,000 प्रति माह से अधिक।
- vii. आयकर का भुगतान करना।
- viii. पेशेवर कर चुकाना।
- ix. पक्की दीवारों और छत के साथ 3 या अधिक कमरे।
- x. एक रेफ्रिजरेटर का मालिक है।
- xi. लैंडलाइन फोन का मालिक है।
- xii. 1 सिंचाई उपकरणों के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचाई भूमि का मालिक है।
- xiii. दो या अधिक फसल के मौसम के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि।
- xiv. कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ भूमि या उससे अधिक के मालिक।

2.4 अपवाद –

अनाथ बालिकाओं तथा संप्रेक्षण गृह की पूर्व संवासी कन्याओं के मामले में राशन कार्ड की अनिवार्यता के प्रावधान से छूट होगा, परन्तु इसके लिए बाल कल्याण समिति का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

2.5 आवेदन प्रक्रिया –

आवेदक संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होंगी :-

- i. राशन कार्ड।
- ii. मतदाता पहचान पत्र।
- iii. विवाह-निबंधन प्रमाण-पत्र।
- iv. दहेज नहीं देने संबंधी घोषणा-पत्र (मूल प्रति में)।
- v. आधार-कार्ड।
- vi. विधवा विवाह की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र।
- vii. बैंक-पासबुक।
- viii. परिवार के पास कंडिका – 2.3 (7) के आलोक में 14 बहिष्कार मानदण्डों के नहीं होने संबंधी घोषणा-पत्र (मूल प्रति में)।

2.6 कार्यान्वयन प्रक्रिया –

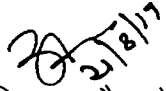
बाल विकास परियोजना कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर बाल विकास परियोजना के संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लाभुकों के भौतिक सत्यापनोपरान्त योग्य पाये जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सभी प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदन उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षोपरान्त स्वीकृति प्रदान किये जाने पर कोषागार से राशि की निकासी कर लाभुक के बैंक खाते में राशि ABPS/NEFT/RTGS/PFMS के माध्यम से Transfer की जायेगी।



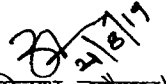
2.7 योजनान्तर्गत व्यय-भार:-

- i. इस योजनान्तर्गत वार्षिक व्यय-भार लगभग रु0 50.00 करोड़ संभावित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजनान्तर्गत रु0 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रुपये) का बजट उपबंध प्राप्त है, जिससे योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा।
- ii. योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु योजना लागू का 2.00 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया जायेगा।
3. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक- 14.08.2019 की बैठक की मद संख्या-08 में स्वीकृति प्रदान की गई है।
4. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/आदेश विलोपित समझा जायेगा।
5. यह मार्ग-निर्देश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

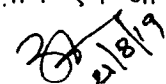
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाये तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्तों को भेजी जाये।


(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक - 05/म0स0/रा0यो0-461/2017 - 2021 राँची, दिनांक :- 21/08/2019
प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक - 05/म0स0/रा0यो0-461/2017 - 2021 राँची, दिनांक 21/08/2019
प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ सभी प्रधान सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव